भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2656

(04.08.2021 को उत्तर के लिए)

पत्रों का समय पर उत्तर

2656. **श्री रामदास सी. तडस :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों और मंत्रालयों को भेजे गए पत्रों का समय पर उत्तर दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सांसदों को उत्तर समय पर दिए जाएं, कोई उपाय किए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केन्द्रीय मंत्रियों और मंत्रालयों में प्राप्त हुए संसद सदस्यों के पत्रों को देखने के लिए केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (सीएसएमओपी) में यथा निहित प्रावधानों के अनुसार पद्धतियां और दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं । विभाग ने सीएसएमओपी के प्रावधान के अनुसरण की आवश्यकता पर बल देते हुए समय-समय पर इसमें निहित अनुदेशों को दोहराया है जिसमें 15 दिन के भीतर संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की पावती भेजना और पावती भेजने के अगले 15 दिनों के भीतर उत्तर दिया जाना शामिल है ।

****